



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1660) पटना, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2025

सं० एम०-2-01/2025-29—बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बैंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिन्हित/इंगित किया गया हो, और डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं, से संबंधित निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-52/2025/एसडीआर/खंड-II के दिनांक 07.10.2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं, से संबंधित भारत से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या- 52/2025/एसडीआर/खंड-II के दिनांक 07.10.2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मिथिलेश कुमार साहु,  
संयुक्त सचिव।

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली 110001/दिनांक 7 अक्टूबर, 2025

सं० 52/2025/एसडीआर/खंड-॥ क—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-॥क के प्रावधानों के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत 10.10.2025 और 13.10.2025 को अधिसूचित होने वाले बिहार विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन और 7 राज्यों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक-1 के अनुसार) के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगी।

आदेश से,  
एस० बी० जोशी,  
प्रधान सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 7<sup>th</sup> October, 2025

No. 52/2025/SDR/Vol. IIA.— In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 85 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the **current** general elections to the Legislative Assembly of Bihar and bye election in 8 Assembly Constituencies of 7 States (as per Annexure-I) Scheduled to be notified on 10.10.2025 and 13.10.2025 under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Election Rules, 1961.

By Order,  
S.B.JOSHI,  
PRINCIPAL SECRETARY.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली 110001/दिनांक 7 अक्टूबर, 2025

सं० 52/2025/एसडीआर/खंड-॥ क— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध का सत्यापन किए जाने की शर्त के अधीन हैं, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग- IIIक, के उपबंधों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 30 के अंतर्गत 10.10.2025 और 13.10.2025 को अधिसूचित किए जाने वाले बिहार विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन और 7 राज्यों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक-1 के अनुसार) के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,  
एस० बी० जोशी,  
प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 7<sup>th</sup> October, 2025*

**No. 52/2025/SDR/Vol. IIA.**— In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of their request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give their vote by postal ballot in the **current general elections to the Legislative Assemblies of Bihar and bye elections to 8 Assembly Constituencies of 7 States (as per Annexure-I) scheduled to be notified on 10.10.2025 and 13.10.2025** under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19<sup>th</sup> June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By Order,  
S.B.JOSHI,  
PRINCIPAL SECRETARY.

## अनुलग्नक-1

| क्रम सं. | राज्य             | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1.       | जम्मू तथा काश्मीर | 27-बडगम                                      |
| 2.       |                   | 77-नगररोटा                                   |
| 3.       | राजस्थान          | 193- अंता                                    |
| 4.       | झारखण्ड           | 45-घाटशिला (अ.ज.जा.)                         |
| 5.       | तेलंगाना          | 61-जुबली हिल्स                               |
| 6.       | पंजाब             | 21-तरन तारन                                  |
| 7.       | मिजोरम            | 2-डम्पा (अ.ज.जा.)                            |
| 8.       | उड़ीसा            | 71-नुवापाडा                                  |

एस० बी० जोशी,  
प्रधान सचिव।

## Annexure-1

| Sl. No. | Name of State     | Assembly Constituency No. & Name |
|---------|-------------------|----------------------------------|
| 1.      | Jammu and Kashmir | 27- Budgam                       |
| 2.      |                   | 77-Nagrota                       |
| 3.      | Rajasthan         | 193-Anta                         |
| 4.      | Jharkhand         | 45-Ghatsila (ST)                 |
| 5.      | Telangana         | 61-Jubilee Hills                 |
| 6.      | Punjab            | 21-Tarn Taran                    |
| 7.      | Mizoram           | 02-Dampa (ST)                    |
| 8.      | Odisha            | 71-Nuapada                       |

S.B.JOSHI,  
PRINCIPAL SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1660-571+50-डी०टी०पी०।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>